न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/08

1. मुकेश आत्मज स्व0 कालूलाल जी ।
2. नरेन्द्र आत्मज स्व0 कालूलाल जी ।
3. राजेश कुमार आत्मज स्व0 कालूलाल जी ।
4. किशना देवी पत्नी स्व0 कालूलाल जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. पुष्पाबाई पत्नी श्री मांगीलाल जी पुत्री स्व0 पन्ना लाल जी जाति मीणा निवासी रामखेडली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. काली बाई पुत्री हीरालाल जाति मीना निवासीगण ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. श्रीमती ममता पुत्री स्व0 कालूलाल जी पत्नी स्व0 कन्हैया लाल जाति मीना निवासी ग्राम बिजौरा जिला बारां ।
4. राकेश आत्मज स्व0 मदनलाल जी ।
5. अशोक आत्मज स्व0 मदनलाल जी ।
6. सुरेश आत्मज स्व0 मदनलाल जी ।
7. मोहित आत्मज स्व0 मदन लाल जी ।
8. अमित आत्मज स्व0 मदनलाल जी ।
9. लक्ष्मा पुत्री स्व0 मदनलाल जी जाति मीना निवासीगण ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. सीता बाई पत्नी स्व0 मदनलाल जी जाति मीना निवासीगण ग्राम मोनू झौंपडिया अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि मुस0 जगना पत्नी किशोरया के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम रामखेडली तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 85 की 0.06 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 86 की 0.14 हैक्टर कुल दो किता की रकबा 0.20 हैक्टर भूमि स्थित है । मु0 जगनी ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी के सम्बन्ध में वादिनी के पिता स्व0 पन्ना के हक में दिनांक 17.01.1950 को हिब्बानामा तहरीर एवं तकमील करवा लिया । वादिनी स्व0 पन्ना जी की पुत्री एवं एकमात्र वारिस होने से उनके द्वारा छोडी सम्पत्ति एवं उक्त आराजीयात की एक मात्र मालिक एवं काबिज है और वादिनी का उक्त आराजी पर बहैसियत मालिक कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 ने प्रतिवादी कम 4 से साजिश कर उक्त भूमि को अपने नाम जरिये इंतकाल नम्बर 59 दिनांक 15.04.1998 को दर्ज करवा लिया और इसी आधार पर वे वादिनी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करने पर आमादा हो गये हैं । वादग्रस्त आराजी वादिनी के पिता को हिब्बा में मिलने से व स्व0 पन्ना की वादिनी एकमात्र वारिस होने से उक्त आराजियात की एक मात्र मालिक हो गयी है ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादिनी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी कम 4 को आदेश दिया जावे कि वह राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार की हैसियत से वादिनी का नाम दर्ज करे एवं प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 का नाम हटावे तथा इंतकाल संख्या 59 दिनांक 15.04.1998 को अवैध अनाधिकृत गैर कानूनी तथा वादिनी के हितों के विरूद्ध बेअसर वाला घोषित किया जावे । प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादिनी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें । वादिनी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 के द्वारा दावा वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 29.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट जो कि मृतक कालूलाल (प्रतिवादी कम 1) के कायममुकामान हैं को कायममुकामान का प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने के बावजूद रिकॉर्ड पर लिये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय एवं डिक्री पारित करने मे त्रुटि की है । लोक अदालत में पक्षकारान की सहमति के आधार पर ही लोक अदालत की भावना के अनुरूप वाद का निस्तारण किया जा सकता है । लोक अदालत में किसी वाद का गुणावगुण के आधार पर निर्णय नहीं किया जकता है । लोक अदालत में पक्षकारान की सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 निरस्त फरमाई जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की कोई

जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.12.2017 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट कम 1 लगायत 4 व रेस्पोडेन्ट कम 3 ममता मृतक प्रतिवादी संख्या 1 श्री कालूलाल जी के वारिस व कायममुकामान हैं । इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट कम 4 लगायत 10 मृतक प्रतिवादी कम 2 मदन लाल जी के वारिस व कायममुकामान हैं जो प्रस्तुत अपील में आवश्यक पक्षकार है । रेस्पोडेन्ट कम 3 लगायत 10 अपील प्रस्तुत करने नहीं आ पाने के कारण उन्हें बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाकर यह अपील प्रस्तुत की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलान्ट जो कि आवश्यक पक्षकार थे को बतौर कायममुकामान न तो तलब किया गया है और न ही रिकॉर्ड पर लिया गया है । अपीलान्ट का वाद वर्णित आराजी में हित–निहित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । उक्त प्रकरण में अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट कम 1 लगायत 4 व रेस्पोडेन्ट कम 3 ममता मृतक प्रतिवादी संख्या 1 श्री कालूलाल जी के वारिस व कायममुकामान हैं । इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट कम 4 लगायत 10 मृतक प्रतिवादी कम 2 मदन लाल जी के वारिस व कायममुकामान हैं जो प्रस्तुत अपील में आवश्यक पक्षकार थे । अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अपीलान्ट मृतक कालूलाल के कायममुकामान हैं । कायममुकामान का प्रार्थना पत्र विचाराधीन था । उन्हें रिकॉर्ड पर लिये बिना उनकी अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया था । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कम 1 एवं 2 कालूलाल व मदनलाल मृतक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया है । मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित निर्णय Nullity होता है । तथाकथित हिब्बानामा जिसे वादिनी रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा दावे का आधार बनाया गया था वह वैध नहीं था तथा वादिनी रेस्पोडेन्ट ने उक्त हिब्बानामा को साबित नहीं किया है । दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है इसके बावजूद दावा डिक्री किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण को दिनांक 08.09.2006 को प्रकरण संख्या 76/78 कालू बनाम महावीर को कन्सोलिडेट करने का आदेश पारित किया है परन्तु दोनों प्रकरणों पर कोई

विवेचना नहीं की है । कायममुकामान को तलब किये बिना उनको रिकॉर्ड पर लिये बिना निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा हक घोषणा का था जिसमें दिनांक 18.04.2007 को तनकी कायम की गई । लोक अदालत की सूचना पक्षकारों को दी गई । दिनांक 03.05.2017 की आदेशिका को चैलेंज नहीं किया गया है । लोक अदालत में दिनांक 29.05.2017 को निर्णय पारित किया गया है । अपील अवधि बाधित है विलम्ब का कोई समुचित कारण नहीं बताया है । पटवारी हल्का द्वारा जानकारी दिया जाना बताया है परन्तु पटवारी हल्का का शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने से एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जिरह साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी । दिनांक 16.10.2014 की आदेशिका के अनुसार वकील प्रतिवादी ने कालू की मृत्यु की जानकारी दी गई और दिनांक 10.12.2014 की आदेशिका के अनुसार वादी की ओर से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के कायममुकामान का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । दिनांक 02.03.2015 की आदेशिका के अनुसार जवाब प्रार्थना पत्र हेतु मौका दिया गया है इसके उपरान्त दिनांक 29.05.2017 की आदेशिका के अनुसार लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर निर्णय एंव डिक्री पारित करते हुए दावा वादी स्वीकार किया गया है । दिनांक 29.05.2017 को न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है । प्रतिवादी के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है । निर्णय आदेशिका पर पारित किया गया है । पृथक से निर्णय लिखाया जाना आदेशिका में अंकित है परन्तु पत्रावली पर सिर्फ डिक्री संलग्न की गई है, निर्णय शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक एवं सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एंव जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी *का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि* सम्मत निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है उभय पक्ष की साक्ष्य पूर्ण कर नये सिरे से सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.05.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 09.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा